भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2665

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसान

2665. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निवेश लागत में कमी और ऋण तक पहुँच सहित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के आरंभिक चरण से लाभान्वित होने वाले लघु एवं सीमांत किसानों की अनुमानित संख्या का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत आरंभ से अब तक आवंटित, स्वीकृत, वितरित और व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और आगामी पांच वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इन्हें प्राप्त करने के लिए रोडमैप क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत गोदामों, शीतागारों और फार्म-गेट प्रसंस्करण इकाइयों सहित कृषि-अवसंरचना को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन से खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि के संदर्भ में दीर्घकालिक लाभ का आकलन किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई, 2025 को वर्ष 2025-26 से प्रारंभ करते हुए, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) को छह वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन दिया। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और सतत् कृषि पद्धतियों को अपनाने में वृद्धि, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोपरांत भंडारण क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। इस योजना को 11 विभागों की मौजूदा 36 योजनाओं के अभिसरण, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जिलों की योजनाओं में गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और फार्म-गेट प्रसंस्करण इकाइयों सहित एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थानीय कमियों का आकलन किया जाएगा। उपयुक्त योजनाओं के अभिसरण से इन कमियों को दूर किया जाएगा।

*****